श्री ओम प्रकाश माथुर (राजस्थान): सर, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं।

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला (मध्य प्रदेश): सर, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करती हूं।

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (Bihar): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Odisha): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: We also associate ourselves with the issue raised by the hon. Member.

Rape of a Dalit Student in Bhagat Phool Singh Women's University in Haryana

श्री रणवीर सिंह प्रजापति (हरियाणा): सर, हरियाणा में भगत फूल सिंह महाविद्यालय में 16 मई को एक दलित छात्रा प्रियंका का विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर अपहरण करके उसको चार युवक स्कॉरपियो गाड़ी में ले गए। पीड़ित दलित छात्रा, दिल्ली के नरेला के पास गांव होलंबी निवासी विश्वविद्यालय में एलएलबी प्रथम वर्ष में पढ़ती है। वह विश्वविद्यालय के हॉस्टल नंबर 14 में रहती है।

युवक छात्रा का अपहरण करके, खेतों में ले गए और वहां युवकों ने छात्रा का बारी-बारी से यौन शोषण किया। इसके बात युवक बलात्कार की शिकार हुई इस छात्रा को विश्वविद्यालय के बाहर फेंक कर चले गए छात्रा बदहवासी थी। आरोपी युवकों ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी, जिसके कारण वह बुरी तरह से आतंकित थी। ये आरोपी छात्र अगले दिन फिर विश्वविद्यालय के हॉस्टल आए और पीड़ित दलित छात्रा को धमकी देकर चले गए। दुराचार की शिकार दलित छात्रा ने जब साहस करके मामले की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से की, तो उन्होंने उसकी इज्जत का हवाला देकर, चुप रहने के लिए कहा और मामले को दबाने का प्रयास किया। जब अन्य छात्राओं को प्रशासन के इस रवैये की भनक लगी, तो वे आक्रोषित हो गई और रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरना दिया। छात्राओं को दबाव के चलते अगले दिन सायंकाल पुलिस ने तीन युवकों, खानपुर कलां निवासी अमित कुमार व जयपाल, मुढलाना निवासी भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज किया और

[श्री रणवीर सिंह प्रजापति]

गिरफ्तार करके, पांच दिनों का रिमांड लिया। इसके बाद 18 मई से छात्राएं सड़कों पर आ गई और विश्वविद्यालय के बाहर सड़क जाम कर दिया। इसके बावजूद सरकार का एक भी एम.एल.ए. या मंत्री उनकी बात सुनने के लिए मौके पर नहीं गया। ईनेलो के डबवाल से विधायक डा. अजय सिंह चौटाला ने मौके पर जाकर मामले की जानकारी ली तथा प्रेस के माध्यम से मामले को उठाया। इससे पहले भी विश्वविद्यालय की तीन छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, परन्तु कोई जांच नहीं की गई। 1 फरवरी, 2012 को एम.ए. की छात्रा ममता, पुत्री आनन्द ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। वह हॉस्टल नंम्बर 14 में रहती थी। 2 मार्च, 2012 को हॉस्टल नम्बर 5 में रहने वाली राक्षी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। 3 मार्च, 2012 करो 10+2 के हॉस्टल नंबर 9, 10 में रहने वाली छात्रा आरजू, पुत्री सतीश ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ...**(समय की घंटी)**... आरजू मेरठ जिले के गांव......

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): टाइम ओवर। टाइम ओवर प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। टाइम ओवर।...**(व्यवधान)**...Not going on record....**(व्यवधान)**...प्रजापति जी, रिकार्ड में नहीं जा रहा है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री रणवीर सिंह प्रजापति:*

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): सुनिए, Nothing goes on record after three minutes. (*Interruptions*) यह रिकॉर्ड मे नहीं जा रहा है, इसलिए बोलने से कोई फायदा नहीं है, आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**...Don't waste time. (*Interruptions*)

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं स्वयं को इससे सम्बद्ध करता हूं।

Remarks by Arbitration Tribunal, London, questioning the sovereignty of the Indian Judicial System

SHRI P. RAJEEVE. (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, the International Arbitration Tribunal, London, recently, gave an order in favour of White Industries Australia Limited (WIAL) and against the Government of India. The Arbitration Tribunal criticized the Indian Supreme Court, in particular, and the Indian judicial system, in general, and made the Government of India liable to compensate for the lapse on the part of our Judiciary. The WIAL had entered into a commercial contract with the State-owned Coal India Limited. But, subsequently, a dispute arose between the two and both the parties approached the Supreme Court of India. Meanwhile, the WIAL approached the United Nations Arbitration Tribunal. Then, an Arbitration Tribunal was constituted, which consisted of one member, nominated by the Government of India, one member, nominated by the Government of Australia, and

* Not recorded.